सरकार ने अनुकम्पा के आधार पर स्थानांतरण के लिये आवेदन पत्र देने वाले अपने कर्मचारियों की वरिष्ठता के बारे में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को कोई मार्गनिर्देश जारी नहीं किये हैं । उद्यमों के प्रबंधकों के पास अपनी आवश्यकता तथा कार्यचालन की परिस्थितियों के अनुसार अपने कर्मचारियों के स्थानांतरण तथा वरिष्ठता से संबंधित नीतियां बनाने के लिए पूरी शक्तियां हैं । यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें उन्हें पूरी स्वायत्तता प्राप्त है और वे ऐसी नीतियां निर्धारित करने के लिये स्वतंत्र हैं जो उनके प्रचालनों तथा कुशल संचालन के लिये बेहतर समझी गई हों । इस प्रकार प्रत्येक उद्यम, जिनकी संख्या 246 है, द्वारा स्थानांतरण तथा वरिष्ठता के लिये निर्धारित नीतियों के ब्यौरों का सरकार द्वारा केन्द्रीय स्तर पर परिवीक्षण अथवा अनुरक्षण नहीं किया जाता है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ङ) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्धक अपने कर्मचारियों के स्थानांतरण संबंधी नीतियों के बारे में निर्णय करने में सक्षम है तथा सरकार इस संबंध में कोई प्रतिबंध लगाना नहीं चाहेगी ।

(च) जी, नहीं ।

(छ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ज) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधकों को अपने कर्मचारियों की वरिष्ठता से संबंधित सभी मामलों को निपटाने तथा प्रत्येक मामले में निर्णय करने की पूरी शक्तियां प्राप्त हैं ।

Commissioning of Dibrugarh Doordarshan Kendra of Upper Assam

2349. SHRI NYODEK YONGGAM: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) what is the reason for delaying the commissioning of Dibrugarh Doordarshan Kendra of Upper Assam; and

(b) when is it likely to be commissioned?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI GIRIJA VYAS): (a) and (b) Dibrugarh Door. darshan Kendra will be commissioned after the process of deployment of staff is completed.

Financing of theatres in A.P.

2350. DR. NARREDDY THULASI REDDY: Will the Minister of INFOR MATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) the number of the theatres in Andhra Pradesh financed under the Financing Scheme by N.F.D.C.; and

(b) the details thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI GIRIJA VYAS): (a) Under its scheme of Theatre Financing, so far National Film Development Corporation has effectively sanctioned loan to 15 theatres.

(b) Out of the sanctioned amount of Rs. 87.82 lakhs, the actual amount disbursed is Rs. 70.45 lakhs. 13 out of 15 theatres have been completed, resulting in additional capacity of 9540 seats.

Production centre of Films Division at Hyderabad

2351. DR. NARREDDY THULASI REDDY: Will the Minister of INFOR- . MATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to sat up production centre of Films Division at Hyderabad;

(b) if so* the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI GIRIJA

VYAS): (a) No, Sir.

(b) Qestion does not arise.

(c) There is already a Regional Production Centre for Southern Region at Bangalore.

राजस्थान में दूरदर्शन रिले केन्द्रों की स्थापना

2352. **डा० अबरार अहमद :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में निकट भविष्य में, किन-किन स्थानों पर दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है और इस प्रयोजनार्थ निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पिछली पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्धारित लक्ष्यों को पूरा कर लिया गया था और इसके लिए आवंटित पूरी धनराशि का उपयोग किया गया था; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर "नहीं" है, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) राजस्थान में इस समय लगाए जा रहे ट्रांसमीटरों में से निम्नलिखित ट्रांसमीटरों को वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान चालू करने की आशा है, बशर्ते कि सिविल निर्माण कार्य समय पर पूरे कर लिए जाएं और उपकरण उपलब्ध हो जाएं;

1. बूंदी में उच्च शक्ति (10 कि. वा.) टी.वी. ट्रांसमीटर ।

2. बाड़मेर में उच्च शक्ति (1 कि. वा.) टी. वी. ट्रांसमीटर (अंतरिम व्यवस्था) ।

3. गंगापुर, श्रीडूंगरगढ़, सुजानगढ़, बल्लभनगर और करनपुर में अल्प शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर ।

दूरदर्शन द्वारा टी.वी. ट्रांसमीटरों के लिए स्थानों का निर्णय लेते समय जिन मानदंडों का अनुसरण किया जाता है, उनमें कई बातें शामिल होती हैं जैसे कवर न हुए क्षेत्रों में कवरेज का प्रावधान; पहाड़ी, पिछड़े जनजातिय, सुदुरवर्ती, संवेदनशील और सीमावर्ती क्षेत्रों में कवरेज का प्रावधान; कार्यक्रम निर्माण और लिंकेज सुविधाओं तथा अन्य आधार भूत सुविधाओं की उपलब्धता । सांस्कृतिक और महत्व के ऐतिहासिक स्थानों की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है ।

(ख) और (ग) राजस्थान के लिए सातवीं योजना अवधि के दौरान निर्धारित भौतिक और वित्तीय लक्ष्य पूरी तरह से प्राप्त नहीं किए जा सके । इसके मुख्य कारण हैं— कुछ परियोजनाओं के लिए स्थलों का कब्जा लेने में देरी, देश में पहली बार 300 मीटर ऊंचे टी.वी. टावरों का निर्माण, कुछ ट्रांसमीटर स्थलों पर आधारभूत सुविधाओं की कमी कुछ विशेष प्रकार से उपकरणों की सप्लाई में विलंब इत्यादि ।

समाचार पत्र रजिस्ट्रार के कार्यालय ; पंजीकरण के लिए लम्बित आवेदन-पत्र

2353. **डा० बापू कालदाते :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जून, 1992 की स्थिति के अनुसार समाचारपत्र रजिस्ट्रार के कार्यालय में पंजीकरण के लिए कितने आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं और वे कब से लम्बित हैं;

(ख) क्या रिश्वत लेने और पंजीकरण करने में विलम्ब के मामलों की खबरें मिली हैं; और

(ग) यदि हां, तो आवेदकों को शीघ्र पंजीकरण प्रदान करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?